सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

347वाँ प्रतिवेदन

(पथ निर्माण विभाग)

(दिनांक 23/07/2026 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के मा० सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1-20
5. परिशिष्ट	21-40

प्राक्कथन

मैं, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 20 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 347वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधानमंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

दामोदर रावत,
सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2023-24 के माननीय सदस्यों की सूची --

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री केदार नाथ सिंह	स०वि०स०
2. श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
3. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल"	स०वि०स०
4. श्री जनक सिंह	स०वि०स०
5. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6. श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
7. श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
8. श्री रामविशुन सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची--

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री पवन कुमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री असीम कुमार	निदेशक
4. श्रीमती पूनम सिन्हा	उप-सचिव
5. सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री राजीव रंजन-III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री मो० अली	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
10. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची --

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	1089/11
2	1117/16
3	1212/16
4	105/17
5	269/17
6	286/17
7	1009/17
8	1218/17
9	1260/17
10	396/19
11	578/19
12	787/19
13	1204/19
14	1278/19
15	47/20
16	658/22
17	690/22
18	1314/22
19	1327/22
20	2209/22

प्रतिवेदन

पथ निर्माण विभाग

आश्वासन संख्या 1089/11

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 167 (पथ-30), दिनांक 20 जुलाई, 2011 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता - श्री आनन्दी प्रसाद यादव, स०वि०स०।

विषय - अररिया जिलान्तर्गत ए०बी०एम० सिकटी रोड को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--अररिया जिलान्तर्गत ए०बी०एम० सिकटी रोड का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं० 4577 (ई०) डब्लू०ई०, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 द्वारा किया गया था। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत उक्त पथ में कार्य कराये जाने के कारण दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण इसका हस्तानांतरण नहीं हो सका। हस्तानांतरण होने के पश्चात् ही इसे पथ निर्माण विभाग की सूची में शामिल किया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1089-वि०स०, पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2011 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1089, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 93(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 1117/2016

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या (पथ-31, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री दिनेश चन्द्र यादव, स०वि०स० ।

विषय - सहरसा जिलान्तर्गत बल्थी से मुसहरियाँ पथ का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--बल्थी-मुसहरियां पथ की कुल लम्बाई 6.55 कि०मी० है। इस पथ के 0 से 3.75 कि०मी० पथांश के निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा एकरारनामा किया गया था जो निर्माणाधीन है। 3.75 कि०मी० से 6.55 कि०मी० पथांश (लम्बाई 2.80 कि०मी०) भाग में दो उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के बाद ही पथ का निर्माण संभव था। पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है। वर्तमान में यह पथांश पगडंडी या खेत के रूप में है। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन चालू नहीं है। राशि उपलब्धता के अनुसार इस पथ के 3.75 कि०मी० से 6.55 कि०मी० पथांश को वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 4138-4141-वि०स०, पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 4138-4141, दिनांक 31 जनवरी, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 90(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1212/16

प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या पथ-66, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० ।

विषय - बाँका जिला के बेनराघट प्रखंड के पंजवारा-धोरैया-सन्हौला मुख्य सड़क का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--पंजवारा-धोरैया एवं धोरैया-सन्हौला पथ Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenacne Contract (OPRMC) पैकेज सं० 45 के अन्तर्गत संधारित है। संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित कर दिया। पुनः OPRMC पैकेज सं० 45 के अंतर्गत यह कार्य M/s S.K.Enterprises को आवंटित है। एकरारनामा के उपरांत शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 4518-4521-वि०स०, पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 4518-4521, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 75(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 105/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-506 (पथ-15), दिनांक 01 मार्च, 2017 को (सदन पटल) से ।

प्रश्नकर्ता - श्री सुबोध राय, स०वि०स० ।

विषय - भागलपुर जिलान्तर्गत अकबर नगर-शाहकुंड पथ का सुदृढ़ीकरण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--प्रश्नाधीन पथ अकबर-शाहकुंड पथ की कुल लम्बाई 18 कि०मी० है एवं चौड़ाई 5.5 मीटर है। विगत वर्ष आई प्रलयंकारी बाढ़ के कारण कि०मी० 1 से 3 तक पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसकी मरम्मती हेतु निविदा प्राप्त कर ली गयी है। 31 मार्च, 2017 तक कार्य पूर्ण करा लेने का लक्ष्य है।

(ज्ञाप संख्या 417-420-वि०स०, पटना, दिनांक 11 अप्रील, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 417-420, दिनांक 11 अप्रील, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था.। पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 73(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 269/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-1080 (पथ-64), दिनांक 08 मार्च, 2017 को (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० ।

विषय - भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा-सन्हौला पथ को निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, (उप-मुख्यमंत्री)—महोदय, प्रश्नाधीन पथ घोघा-सोन्हौला पथ जिसकी कुल लम्बाई 16 कि०मी० है, यह पथ ओ०पी०आर०एम०सी० के पैकेज संख्या 46(बी०) के अधीन है। इस पथ में 8 कि०मी० में जनवरी, 2017 तक 25 एम०एम० थिक एस०डी०बी०सी० का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। 2.5 कि०मी० में पी०सी०सी० कार्य की स्थिति अच्छी है। शेष पथांश 5.70 कि०मी० में 25 एम०एम० थिक एस०डी०बी०सी० का अप्रील, 2017 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

(ज्ञाप संख्या 1073-1076-वि०स०, पटना, दिनांक 8 मई, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1073-1076, दिनांक 8 मई, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 73(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 286 / 17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-1116 (पथ-52), दिनांक 08 मार्च, 2017 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री (मो०) तौसीफ आलम सिंह, स०वि०स० ।

विषय - किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के लौचा नदी पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--ग्रामीण कार्य विभाग, सरकार के पत्रांक 2005, दिनांक 30 जून, 2011 के द्वारा 17X24.75 मीटर आकर के लौचा नदी पर पुल निर्माण हेतु रु० 2934.72 लाख (29 करोड़ 34 लाख 72 हजार) का प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके आलोक में पुल निर्माण निगम द्वारा निविदा संपादन के उपरांत संवेदक माँ काली कॉरपोरेशन प्रा०लि०, रूकनपुरा, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पत्रांक 111, दिनांक 27 जनवरी, 2012 द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्य आदेश निर्गत किया गया । संवेदक द्वारा पुल के 17 स्पैन में से 16 स्पैन पुल का निर्माण एवं पश्चिम तरफ का पहुँच पथ में WMM तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

इस बीच डी०पी०आर० कन्सलटेंट द्वारा पुल की लम्बाई 4X24.75 मी० और बढ़ाने का परामर्श दिया गया। इसके आलोक में 53,58,70,000 (तीरपन करोड़ अनठावन लाख पचहतर हजार रु०) मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुये निगम के पत्रांक 937 अनु०, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा गया ।

पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 438, दिनांक 3 फरवरी, 2017 के द्वारा River Training Work के प्रावधान के संबंध में की गयी पृच्छा के आलोक में निगम के आदेश सं० 04, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा वरीय अभियंताओं की एक समिति गठित की गयी है जो स्थल निरीक्षण कर अपने मंतव्य सहित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करेगी। गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पुल निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1141-1144-वि०स०, पटना, दिनांक 8 मई, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1141-1144, दिनांक 8 मई, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 85(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1009/2017

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-2885 (पथ-112), दिनांक 29 मार्च, 2017 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० ।

विषय - भागलपुर जिला के भागलपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चम्पानाला पुल का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वर्तमान स्क्रू पाइल पुल के बलग में नया आर०सी०सी० पुल निर्माण का अवशेष कार्य पूरा करने हेतु EPC Mode पर दयाल हाईटेक इंजिनियर प्रा०लि०, 13 आदर्श कॉलोनी, एस०के० नगर, किदवईपुरी, पटना 800001 को कार्यादेश दिया गया है। कार्य प्रारंभ की तिथि 18 फरवरी, 2017 एवं समाप्ति की तिथि 17 फरवरी, 2019 है । कार्य प्रगति पर है। समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 4033-4036-वि०स०, पटना, दिनांक 22 अगस्त, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 4033-4036, दिनांक 22 अगस्त, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 86(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2013 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1218/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-100 (पथ-4), दिनांक 29 नवम्बर, 2017 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० ।

विषय - मधेपुरा जिलान्तर्गत राज्य पथ संख्या 91 में रघुनाथपुर एवं कोल्हापट्टी के बीच सड़क का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री नन्दकिशोर यादव, (मंत्री)--महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मधेपुरा जिलान्तर्गत राज्य पथ संख्या 91 वीरपुर-उदाकिशुनगंज पथ के प्रश्नाधीन पथांश का पूर्व में किये भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान प्रभावित भू-धारियों/रैयतों को नहीं किया जा सका था। फलतः वर्तमान परियोजना के क्रियान्वयन पर संबंधित रैयतों द्वारा मना कर दिया गया । पथांश से संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई नये सिरे से सतत् लीज नीति 2014 के तहत प्रक्रियाधीन है ।

इस पथांश को मोटरेबल रखने हेतु संबंधित संवेदक द्वारा पूर्व में आवश्यकतानुसार कार्य किया गया है। पुनः इसकी मरम्मती हेतु निदेश दिये गये हैं ।

कंडिका (2) में अंकित पथांश को सुगम बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। कंडिका (1) में वर्णित पथांश में भूमि अधिग्रहण के उपरांत निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव--महोदय, इसमें मेरा एक पूरक प्रश्न है। चूंकि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पथ है और यह वीरपुर से लेकर उदाकिशुनगंज तक आती है। आपके माध्यम से मैं मा० मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, कि जो अनंतकालीन लीज प्रक्रिया शुरू की गयी है उसके तहत पथ संख्या 91 में रघुनाथपुर एवं कोल्हापट्टी के बीच भू-अर्जन सरकार कबतक करा लेगी ?

श्री नन्दकिशोर यादव, (मंत्री)-- महोदय, नरेन्द्र बाबू उस विभाग के मंत्री रहे हैं, जहां से भू-अधिग्रहण होता है । महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बिहारीगंज बाईपास है उसके भू-अर्जन का काम पूरा हो गया है, तुरंत उसमें काम लगेगा, एक प्रक्रियागत कठिनाई थी उसको भी दूर करने का निदेश विभाग को दे दिया गया है। रघुनाथपुर बाईपास में जमीन अधिग्रहण का विषय अभी पेंडिंग है और जल्दी-से-जल्दी काम को करके अगले वित्तीय वर्ष में उस काम को पूरा कराने का लक्ष्य हमने रखा है।

(ज्ञाप संख्या 4869-4872-वि०स०, पटना, दिनांक 4 जनवरी, 2018 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 4869-4872, दिनांक 4 जनवरी, 2018 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 70(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1260/17

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-187 (पथ-5), दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री (मो०) मुजाहिद आलम, स०वि०स० ।

विषय - किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज-बहादुरगंज पथ में भेरियाडांगी के निकट पुल बनाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--किशनगंज-बहादुरगंज पथ के 6ठे कि०मी० में भेरियाडांगी ग्राम के निकट विगत बाढ़ में लगभग 82m की कटाव हुआ था जिसपर 9x9x4m आकार का R.C.C Box Culvert के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार करने हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को विभागीय पत्रांक 6071 (इ०), दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को निदेशित किया गया है।

(ज्ञाप संख्या 5037-5040-वि०स०, पटना, दिनांक 4 जनवरी, 2018 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 5037-5040, दिनांक 4 जनवरी, 2018 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 87(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 396/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-774 (पथ-44), दिनांक 10 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० ।

विषय - क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया पुल जर्जर हो गया है जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुल का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--भागलपुर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया पुल के मरम्मती हेतु विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त कर लिया गया है। समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । वर्तमान में OPRMC में रख-रखाव के अन्तर्गत उपरी पथांश को मोटरेबल कर दिया गया है।

(ज्ञाप संख्या 396-वि०स०, पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 396, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 95(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 578/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-1428 (ग्राम्य-316), दिनांक 17 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से)।
प्रश्नकर्ता - श्री सत्यनारायण सिंह, स०वि०स०।

विषय - क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखण्ड के ओबरा बेल पीथू रोड की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--ओबरा-बेल-बराही पथ की कुल लम्बाई 14.69 कि०मी० है। इस पथ की निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 578-वि०स०, पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 578, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 82(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 787/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-2079 (पथ-105), दिनांक 24 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री अरूण कुमार सिंह, स०वि०स० ।

विषय - क्या यह बात सही है कि आरा जिला के संदेश विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संदेश प्रखण्ड के अखगांव बाजार में तथा कोइलवर प्रखण्ड के सकड़ी गाँव में सड़क जर्जर है तथा जल-जमाव रहता है, जिससे आमलोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जल निकासी हेतु नाला निर्माण के साथ-साथ उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा BSHP-II के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०-81 (सकड्डी-नासरीगंज) पथ के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को प्राधिकृत किया गया था।

अनुमोदित रेखांकन के अनुसार राज्य उच्च पथ सं०-81 (सकड्डी-नासरीगंज) पथ परियोजना में प्रस्तावित बाईपासों (सकड्डी एवं अखगांव बाईपासों) का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात का परिचालन किया जा रहा है।

प्रसंगाधीन पथांश अब एस०एच०-81 का Left Over भाग है। इस भाग में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ज्ञाप संख्या 787-वि०स०, पटना, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 787, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 71(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1204/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-202 (पथ-10), दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० ।

विषय - क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के कटोरिया प्रखण्ड कार्यालय के समीप पिछले 20 वर्षों से पी०डब्लू०डी० का निरीक्षण भवन अवस्थित है, जो पिछले दस वर्षों से जर्जर अवस्था में है जिसके कारण जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को जनता दरबार लगाने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर निरीक्षण भवन का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वर्तमान में बाँका जिला के कटोरिया प्रखंड में अवस्थित पी०डब्लू०डी० का निरीक्षण भवन सामान्य अवस्था में है। इसकी विशेष मरम्मती कार्य वर्ष 2019-20 के कार्य योजना में शामिल है। स्वीकृत्योपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 1204-वि०स०, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1204, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 89(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1278/19

प्रसंग एवं विषय

श्री नौशाद आलम, स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय - यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिला के वायसी से बहादुरगंज होते हुये दिघलबैंक प्रखण्ड में नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क का शीघ्र मरम्मती करावें ।

सरकारी आश्वासन

श्री श्रवण कुमार, (मंत्री)--सभापति महोदय, पूर्णियाँ जिला के वायसी से बहादुरगंज होते हुये दिघलबैंक प्रखण्ड में नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क एस०एच०-99 की कुल लम्बाई 77.10 किलोमीटर है जिसमें आरंभिक 28.50 किलोमीटर तक जीरो से 28.50 किलोमीटर पथ प्रमंडल पूर्णियाँ, शेष 48.60 किलोमीटर पथ प्रमंडल किशनगंज अन्तर्गत पड़ता है। पथ ओ०पी०आर०एम०सी० में संधारित है, पथ की स्थिति अभी अच्छी है, संवेदक को सतत संधारण का निदेश दिया गया है।

(ज्ञाप संख्या 1278-वि०स०, पटना, दिनांक 3 जनवरी, 2020 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1278, दिनांक 03 जनवरी, 2020 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 91(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 47/20

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-273 (पथ-40), दिनांक 26 फरवरी, 2020 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - मो० कमरूल होदा, स०वि०स० ।

विषय - (1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के किशनगंज-बहादुरगंज पी०डब्लू०डी० सड़क में ब्लॉक चौक के निकट वर्ष 2017 के बाढ़ में सड़क का कटाव हो गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग छः करोड़ रुपया की लागत से उक्त कटाव स्थल पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे सितम्बर, 2019 तक पूरा कर लिया जाना था किन्तु संवेदक एवं विभागीय लापरवाही के कारण उक्त पुल का निर्माण अबतक पूर्ण नहीं हो सका है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने एवं कार्य में विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल के बगल में डायवर्सन का निर्माण किया गया है, जिससे वर्तमान में आवागमन जारी है।

पुल निर्माण कार्य के प्रारम्भ की तिथि 28 मार्च, 2018 एवं समाप्ति की तिथि 27 सितम्बर, 2019 थी । कार्यस्थल पर कटाव काफी गहरा था। जनहित में यातायात को सुचारू रूप से लागू करने की प्राथमिकता के कारण डायवर्सन का निर्माण कराया गया। जिससे वर्तमान में यातायात चालू है। पुल निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के लिये संवेदक को डीबार करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही Liquidated damage भी लगाया गया है। वर्तमान में पुल का नींव कार्य एवं Substructure कार्य पूर्ण हो गया है। दो स्पैन में गर्डर कार्य किया गया है। संवेदक द्वारा समर्पित समय वृद्धि प्रस्ताव के अनुसार पुल निर्माण कार्य को मई, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ज्ञाप संख्या 47-वि०स०, पटना, दिनांक 19 मई, 2020 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 47, दिनांक 19 मई, 2020 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 92(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 658/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-1159 (पथ-18), दिनांक 9 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स० ।

विषय - (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल शहर नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बोर्डर के पास अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रक्सौल शहर के लक्ष्मीपुर से बाटा चौक तक सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में कोइरिया टोला नहर चौक जी०बी०सी० कैनाल में पुल पड़ता है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जी०बी०सी० कैनाल में नया पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है।

(4) विभाग में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पुल का प्रस्ताव विचारणीय होगा ।

(ज्ञाप संख्या 658-वि०स०, पटना, दिनांक 20 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 658, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 80(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 690/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-1208 (पथ-35), दिनांक 9 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० ।

विषय - (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड स्थित हरसिद्धि बाजार से भाया यादोपुर-मनकररिया होते हुये बनकर को जोड़ने वाली पी०डब्लू०डी० पथ अपने निर्माण के कार्यावधि से 3 वर्ष बाद भी आजतक पूर्ण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक के लापरवाही से आजतक कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा घटिया निर्माण कार्य कराने से एक तरफ से सड़क टूटते जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ की कुल लम्बाई 16.50 कि०मी० में से 16.10 कि०मी० का पथ कार्य पूर्ण हो गया है। अवशेष पथांश के 400 मी० लम्बाई में कंक्रीट पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे अप्रैल, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) एकरारनामा के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि से कार्य में विलम्ब हुआ परन्तु पथ में अतिक्रमण एवं नल जल योजना के कारण कार्य लम्बे समय तक बाधित रहा। विगत वर्षों 2020 एवं 2021 के बाढ़ एवं बरसात से निर्माणाधीन पथ में कराये गये मिट्टी कार्य/फ्लैंक रैनकट में क्षति पहुँची है।

पथ कार्य में समावेशित विभिन्न कार्य मदों की गुणवत्ता की जांच लगातार पथ प्रमंडल के गुण नियंत्रण इकाई से करायी जाती है एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक प्रतिवेदित है और कराये गये पथ कार्य में बरसात में पहुंची क्षति को मानक के अनुसार ठीक कराया जायेगा।

(3) निर्माणाधीन पथ कार्य को अप्रैल, 2022 तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ज्ञाप संख्या 690-वि०स०, पटना, दिनांक 20 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 690 , दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 76(S), दिनांक 9 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1314/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-2474 (पथ-165), दिनांक 23 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री महानंद सिंह, स०वि०स० ।

विषय - (1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के मेहंदीया, उसरी, शहर तेलपा एवं करपी सड़क पर अवस्थित उसरी बाजार में नाला का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गंदे नाली का पानी सड़क पर जमा होने से उसरी बाजार वासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उसरी बाजार में नाला बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) आँशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ के उसरी बाजार भाग में अंशतः पथ के दोनों तरफ नाला पूर्व से निर्मित है।

(2) स्थानीय नागरिकों द्वारा नाला को भर दिया गया था, जिसके कारण नाला अक्रियाशील (Non Functional) हो गया था, फलस्वरूप जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर नाला की सफाई करा दी गयी है। अब प्रश्नगत स्थल पर जल-जमाव की स्थिति नहीं है।

(3) बाजार के शेष भाग में संभाव्यता के आधार पर नाला निर्माण की योजना पर विचार किया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1314-वि०स०, पटना, दिनांक 8 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1314, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 81(S), दिनांक 10 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1327/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-2504 (पथ-186), दिनांक 23 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता - श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स०।

विषय - क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-सिन्हा रोड का विस्तार सिन्हा घाट तक किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा एक वर्ष से माँग की जा रही है, परन्तु अभीतक पथ का विस्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को सिन्हा घाट तक विस्तारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ आरा-सिन्हा रोड की लम्बाई 15.799 कि०मी० एवं चौड़ाइ 7.00 मी० है। यह पथ OPRMC Phase-II Package No. 34A के तहत संधारित है। पथ की स्थिति अच्छी है।

सिन्हा से सिन्हा घाट तक 4.00 (कि०मी) का भू-भाग गंगा नदी का Left over Portion है, जो बरसात के दिनों में पानी में डूब जाता है। यह भू-भाग निजी जमीन अन्तर्गत है एवं पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। तकनीकी संभाव्यता प्राप्त कर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 1327-वि०स०, पटना, दिनांक 8 जुलाई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1327, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 137(S), दिनांक 10 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 2209/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या-312 (ग्राम्य-31), दिनांक 29 जून, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता - श्री इजहारूल हुसैन, स०वि०स० ।

विषय -क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड के बुधरा पंचायत के आमबाड़ी, बुधरा घाट डॉक नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास वर्ष 2018 में किया गया था, लेकिन अबतक कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण लोगों को चचड़ी पुल एवं बरसात में नाव का उपयोग करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत भोटाथाना-आजादनगर-आमबाड़ी-बुधरा-पोठिया पथ है, जिसकी लम्बाई 12.90 कि०मी० है। पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण है। पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ज्ञाप संख्या 2209-वि०स०, पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2209, दिनांक 26 अगस्त, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 157(S), दिनांक 10 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

संख्या 6/पथ/आश्वा०/(वि०स०)-10-136/2011-93(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1089/2011 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1089, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित होने के उपरान्त इस पथ का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-II

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-20/2017-90(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1117/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4138-4141, दिनांक 31 जनवरी, 2017 के प्रसंग में कहना है कि पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत बल्थी से मुसहरनियाँ पथ कुल लम्बाई 6.585 कि०मी०, चौड़ाई 5.50 मी० का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-III

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-34/2017-75(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1212/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4518-4521, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के प्रसंग में कहना है कि पंजवारा-धौरैया एवं धौरैया-सन्हौला मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-IV

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-84/2017-72(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 105/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 417-420, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के प्रसंग में कहना है कि अकबरनगर शाहकुंड पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-V

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-100/2017-73(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 269/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1073-1076, दिनांक 8 मई, 2017 के प्रसंग में कहना है कि घोघा-सन्हौला-धौरैया-पंजवारा पथ (Ghogha ROB & Approach को छोड़कर) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VI

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-131/2017-85(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 286/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1141-1144, दिनांक 8 मई, 2017 के प्रसंग में कहना है कि लौचा नदी पर पुल निर्माण निगम द्वारा उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया जा चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-156/2017-86(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1009/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4033-4036, दिनांक 22 अगस्त, 2017 के प्रसंग में कहना है कि भागलपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चम्पानगर पुल का निर्माण कराया जा चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-VIII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-05/2018-70(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1218/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4869-72, दिनांक 4 जनवरी, 2018 के प्रसंग में कहना है कि पथ का निर्माण कार्य पूर्ण है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-IX

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-06/2018-87(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1260/2017 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5037-40, दिनांक 4 जनवरी, 2018 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ में भेड़ियाडांगी पुल का निर्माण करा लिया गया है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-X

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-34/2019-95(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 396/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 396, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 के प्रसंग में कहना है कि वर्तमान में पुल की मरम्मती करा कर आवागमन सुगम करा दिया गया है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XI

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-73/2021-82(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 578/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 578, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के प्रसंग में कहना है कि प्रश्नगत पथ दो पथों (i) ओबरा बेल बराही (14.69 कि०मी०) तथा (ii) गया-कोइलवाँ भाग-II पीर से शुरू होकर बराही बाजार पौथू होते हुये कोइलवाँ मोड़ पर NH-120 से मिलती है, को मिलाकर पूर्ण होता है।

ओबरा बाजार भाग के 500मी० लम्बाई में पथ परत Motorable है तथा शेष लम्बाई बेल होते हुये बराही बाजार तक के पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी है। बराही बाजार से पौथू तक पथ की स्थिति अच्छी है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-89/2019-71(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 787/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 787, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के प्रसंग में कहना है कि अनुमोदित रेखांकन के अनुसार राज्य उच्च पथ सं० एस०एच० 81 पथ परियोजना में प्रस्तावित बाईपास यथा सकड्डी एवं अखगाँव बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण करा दी गयी है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

बाईपासों के निर्माण के उपरान्त Left Out Portion का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XIII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-20/2020-89(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1204/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1204, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के प्रसंग में कहना है कि कटोरिया प्रखंड कार्यालय के समीप पी०डब्लू०डी०, आई०बी० का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XIV

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-39/2020-91(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1278/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1278, दिनांक 3 जनवरी, 2020 के प्रसंग में कहना है कि यह पथ OPRMC Phase-II अन्तर्गत संधारित है। कार्य पूर्ण है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XV

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-48/2020-92(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 47/2020 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 47, दिनांक 19 मई, 2020 के प्रसंग में कहना है कि ब्लॉक चौक के निकट उच्चस्तरीय पुल का निर्माण पुल निर्माण द्वारा कराया जा चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XVI

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-52/2022-80(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 658/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 658, दिनांक 20 जून, 2022 के प्रसंग में कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल शहर के कोईरिया टोला नगर चौक जी०बी०सी० कैनाल पर अवस्थित पुल का रेलिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर नये पुल निर्माण का प्रस्ताव विचारणीय होगा।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XVII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-48/2022-76(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 690/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 690, दिनांक 20 जून, 2022 के प्रसंग में कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि बाजार से भाया यादोपुर मनकररिया होते हुये बनकर को जोड़ने वाली सड़क का PQC कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XVIII

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-103/2022-81(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1314/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1314, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के प्रसंग में कहना है कि प्रसनगत पथ के उसरी बाजार भाग में अंशतः पथ के दोनों तरफ नाला पूर्व से निर्मित है।

स्थानीय नागरिकों द्वारा नाला को भर दिया गया था, जिसके कारण नाला अक्रियाशील (Non-Functional) हो गया था फलस्वरूप जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर नाला की सफाई करा दी गयी है। अब प्रसनगत स्थल पर जल-जमाव की स्थिति नहीं है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XIX

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-100/2022-137(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 10 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1327/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1327, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के प्रसंग में कहना है कि आरा-सिन्हा रोड की लम्बाई 15.799 कि०मी० एवं चौड़ाई 7.00मी० है। यह पथ OPRMC Phase-II Package No-34A के तहत संधारित है। पथ की स्थिति अच्छी है। सिन्हा से सिन्हा घाट तक (4.00 कि०मी) का भू-भाग गंगा नदी का Left over Portion है, जो बरसात के दिनों में पानी में डूब जाता है। यह भू-भाग निजी जमीन अन्तर्गत है एवं पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-XX

संख्या 6/पथ/आश्वा०/वि०स०-10-161/2022-157(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 10 जनवरी, 2023 (ई०)।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 2209/2022 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2209, दिनांक 26 अगस्त, 2022 के प्रसंग में कहना है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत भोटाथाना-आजादनगर-आमबाड़ी-बुधरा-पोठिया पथ है, जिसकी लम्बाई 12.90 कि०मी० है। पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण है। पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०)अस्पष्ट,
अवर-सचिव, (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बि०स०मु० 72 (एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी०-300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026